11

मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी महोदय,

(1)– कृपया पत्रावली के नोटशीट संख्या 7 से 8 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिस पर पत्रावली के नोटशीट पेज संख्या–1 से 4 तक पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) गोबर धन योजनान्तर्गत बायोगैस संयन्त्र की स्थापना कराये जाने हेतु शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद में संचालित शासकीय 02 बड़ी/वृहद गौशालाओं क्रमशः वृहद गौशाला सांथलपुर विकास खण्ड गंगेश्वरी तथा वृहद गौशाला ब्रहमाबाद विकास खण्ड हसनपुर में पृथक–पृथक 25 घन मी0 की क्षमता के बायोगैस संयन्त्र की स्थापना कराये जाने हेतु प्रदान की गई स्वीकृति के क्रम में शासन द्वारा इम्पैनल 04 कार्यदायी संस्थाओं में से एक कार्यदायी संस्था मैसर्स अरूणा ग्रीन बैंचर्स प्रा0 लि0 का चयन करते हुये मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन महोदय द्वारा जारी अपने पत्र संख्या–5/1061/2022–5/25/ 2018 लखनऊ दिनांक 19 सितम्बर 2022 के द्वारा प्रस्तावित धनराशि के भुगतान हेतु निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुरूप अग्रिम धनराशि के रूप में कुल प्रोजेक्ट लागत की 25 प्रतिशत धनराशि नामित संस्था को सीधे जनपद स्तर से दिये जाने हेतु प्रदत्त की गई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 07 दिसम्बर 2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें। **(पताका "ख" अवलोकनीय)** जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदत्त की गई है।

(2)– तद्क्रम में पत्रावली में दाहिनीं ओर पताका–ख पर रक्षित मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) महोदय द्वारा जारी अपने पत्र संख्या–5/1453/2022–5/25/22021–SBM- लखनऊ दिनांक 19 दिसम्बर 2022 के द्वारा प्रस्तावित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना हेतु प्रोजेक्ट लागत धनराशि को योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर State Swachh Bharart Mission Grameen (SBM(G) के एस0एन0ए0 खाता संख्या–40366745654 आई0एफ0एस0सी0 कोड SBIN0006144 से लिंक्ड जनपद के Subsidiary Account 40366749057 में उपलब्ध धनराशि में से दोनो बायोगैस प्लान्ट के निर्माण पर व्यय करने की क्रेडिट लिमिट ग्राम पंचायतों को प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

(3)– पत्रावली में नोटशीट पेज संख्या–7 से 8 पर नामित कार्यदायी संस्था को अग्रिम धनराशि के रूप में 25 प्रतिशत धनराशि अंकन रू0 4,75,000.00 (रू0 चार लाख पिचहत्तर हजार) से जनपद स्तर से अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्राप्त की गई है।

(4)– महोदय यहां पर यह अवगत कराना है कि जनपद से निदेशालय स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नामित जिला कन्सलटेन्ट (एस0एल0डब्लू0एम0) श्री विनय प्रताप सिंह द्वारा निदेशालय में दिनांक 27.12.2022 को उपस्थित होकर प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया गया जिसमें प्रशिक्षण के दौरान उक्त बायोगैस संयन्त्र की स्थापना से सम्बन्धित अनुमन्य धनराशि चयनित/नामित कार्यदायी संस्था को सीधे जनपद स्तर से अवमुक्त न करते हुए ग्राम पंचायत के माध्यम से अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जाये ताकि ग्राम पंचायत द्वारा नामित कार्यदायी संस्था के स्तर से कराये जाने वाले कार्यो का अपने स्तर से व्यापक प्रभावी प्रर्यावेक्षण अनुश्रवण एवं मुल्यांकन किया जा सके जिससे गुणवत्ता पर भी प्रभावी नियन्त्रण रखा जा सके। अतः ऐसी स्थिति में जनपद से निदेशालय स्तर पर प्रशिक्षण में नामित जिला कन्सलटेन्ट (एस0एल0डब्लू0एम0) श्री विनय प्रताप सिंह को निदेशालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अपेक्षित धनराशि ग्राम पंचायतों के माध्यम से दी जानी प्रस्तावित है, पूर्व में नोटशीट पेज संख्या–7 से 8 पर प्रोजेक्ट धनराशि की 25 प्रतिशत अग्रिम धनराशि के रूप में सीधे नामित कार्यदायी संस्था को दिये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन में संशोधन अप्रेक्षित है।

Scanned with OKEN Scanner

(5)– उपरोक्तानुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदत्त किये जाने के उपरान्त योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर State Swachh Bharart Mission Grameen (SBM(G) के एस0एन0ए0 खाता संख्या–40366745654 आई0एफ0एस0सी0 कोड SBIN0006144 से लिंक्ड जनपद के Subsidiary Account 40366749057 में उपलब्ध धनराशि में से गोबरधन मद के अन्तर्गत प्राविधानित अंकन रू0 50.00 में दोनो बायोगैस प्लान्ट के निर्माण पर प्रस्तावित रू0 19.00 लाख रू0 की धनराशि व्यय करने की क्रेडिट लिमिट ग्राम पंचायतों को प्रदान की जानी प्रस्तावित है इस प्रकार ग्राम पंचायतों में क्रेडिट लिमिट किये जाने हेतु ग्राम पंचायतों के खातों का विवरण निम्नवत है–

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत यूनिक एजेन्सी कोड	ग्राम पंचायत का वर्चुअल खाता संख्या	धनराशि (रुपयें में)
01	हसनपुर	ब्रहमाबाद	UPJP00006637	40377193925	9,50,000.00
02	गंगेश्वरी	सांथलपुर	UPJP00006231	40377190753	9,50,000.00
				योग–	18,00,000.00

इस प्रकार यहां पर यह भी अवगत कराना है कि ग्राम पंचायत द्वारा अपने प्रभावी निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में नामित कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से बायोगैस संयंत्रों की स्थापना कराई जायेगी। यहां पर उल्लेखनीय करना उचित होगा कि बायोगैस संयंत्रों की स्थापना उपरान्त उनको क्रियान्वित रखने एवं रख–रखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत का होगा इसलिये आवश्यक है कि बायोगैस की स्थापना सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने प्रभावी निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में नामित संस्था के द्वारा कराया जाना उचित होगा।

अतः अनुरोध करना है कि पत्रावली में दाहिनीं ओर **पताका–ख** पर रक्षित मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) महोदय द्वारा जारी अपने पत्र संख्या–5/1453/2022–5/25/22021–SBM-लखनऊ दिनांक 19 दिसम्बर 2022 के द्वारा प्रस्तावित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना हेतु प्रोजेक्ट लागत धनराशि को योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर State Swachh Bharart Mission Grameen (SBM(G) के एस0एन0ए0 खाता संख्या–40366745654 आई0एफ0एस0सी0 कोड SBIN0006144 से लिंक्ड जनपद के Subsidiary Account 40366749057 में उपलब्ध धनराशि में से गोबरधन मद हेतु प्राविधानित धनराशि अंकन रू0 50.00 लाख में से दोनो बायोगैस प्लान्ट के निर्माण/स्थापित किये जाने हेतु प्रति संयंत्र रू0 9.50 लाख की दर से कुल रू0 19.00 लाख की धनराशि की क्रेडिट लिमिट सम्बन्धित ग्राम पंचायतों क्रमशः ग्राम पंचायत–सांथलपुर विकास खण्ड गंगेश्वरी ग्राम पंचायत– ब्रहमाबाद विकास खण्ड हसनपुर में किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

04/01/2023

(संदीप अग्रवाल)
जिला पंचायत राज अधिकारी
अमरोहा।

10/1/23
CDO
मुख्य विकास अधिकारी
जनपद-अमरोहा

10.1.23
जिलाधिकारी
अमरोहा

Scanned with OKEN Scanner